

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 7835

दिनांक: 09-04-2025

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2 (क)( )/जांच/डीएलबी/2024/1888 दिनांक 08.04.2025 द्वारा श्री देवीलाल सैनी को अध्यक्ष एवं सदस्य नगर पालिका रामगंजमण्डी कोटा के पद से निलंबित किया गया है एवं विभागीय आदेश क्रमांक प.2(क)( )/जांच/डीएलबी/25/1905 दिनांक 08.04.2025 द्वारा श्री रमेश कुमार मीणा को उपाध्यक्ष एवं सदस्य नगर पालिका रामगंजमण्डी के पद से निलंबित किया गया है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अकलेश्वर प्रसाद सदस्य वार्ड सं. 11 को नगर पालिका रामगंजमण्डी (कोटा) के अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 7836-48  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक: 09-04-2025

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर कोटा।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
8. उपखण्ड अधिकारी, कोटा।
9. श्री अकलेश्वर प्रसाद सदस्य वार्ड संख्या 11 नगरपालिका रामगंजमण्डी।
10. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी (कोटा)।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव